

**यू०पी० नीट यू०जी०-२०२२ के अन्तर्गत विस्तारित मॉप-अप राउन्ड (आफलाइन) हेतु समय-सारिणी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश।**

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विस्तारित माप-अप राउन्ड की समय सारिणी निम्नवत् है:-

राजकीय मेडिकल कालेज एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक 26 दिसंबर, 2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे (राजकीय सीटो हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थी)
निजी क्षेत्र की एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक 26 दिसंबर, 2022 को मध्याह्न 12.00 बजे (आल इण्डिया बैंक 500000 तक)
निजी क्षेत्र की एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि (सीटे रिक्त रहने की दशा मे)	दिनांक 27 दिसंबर, 2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे (आल इण्डिया बैंक 500001 से सभी अर्ह अभ्यर्थी)
निजी क्षेत्र की बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक 27 दिसंबर, 2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से) (सभी अर्ह अभ्यर्थी)
प्रवेश लेने की तिथि	आवंटन की तिथि को ही On Spot प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होगी।

- मॉप-अप राउन्ड का आयोजन के०जी०एम०यू० लखनऊ के कलाम सेंटर में किया जायेगा।
- निर्धारित तिथि व समय पर अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है।
- विस्तारित मॉप-अप राउन्ड हेतु कोई भी पृथक पंजीकरण नहीं किया जायेगा। मॉप-अप राउन्ड से पंजीकृत अभ्यर्थी ही विस्तारित माप-अप राउन्ड अर्ह होंगे।
- विस्तारित मॉप-अप राउन्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू०पी० नीट यू०जी० 2022 की प्रथम, द्वितीय एवं माप-अप राउन्ड से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- यू०पी० नीट यू०जी० 2022 की प्रथम, द्वितीय एवं माप-अप राउन्ड से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी विस्तारित मॉप-अप राउन्ड हेतु अर्ह नहीं है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो भारतवर्ष के किसी मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में नीट यू०जी०-२०२२ के माध्यम से प्रवेशित है वह विस्तारित मॉप अप राउन्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम रू० 10.00 लाख तथा निजी क्षेत्र के बी०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु रू० 2.00 लाख का सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० (Director General Medical Education & Training, U.P) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मॉप-अप राउन्ड में पंजीकरण तो कराया था किन्तु पंजीकरण शुल्क तथा सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर पाये थे, ऐसे अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क रू० 1000/- तथा सिक्योरिटी धनराशि रू०, 30,000, रू० 1,00,000/- तथा रू० 2,00,000/- का पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, जो लखनऊ में देय हो के पक्ष में लाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों के शिक्षण शुल्क के अन्तर की धनराशि On Spot जमा किया जाना अनिवार्य है।
- यदि कोई अभ्यर्थी यू०पी० नीट 2022 की प्रथम, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग एवं मॉप-अप राउन्ड के माध्यम से बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेशित है, तो ऐसे अभ्यर्थी सिक्योरिटी मनी रू० 2.00 लाख जमा करते हुए मॉप-अप राउन्ड में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- यदि अभ्यर्थी नीट 2022 से पूर्व की काउन्सिलिंग के माध्यम से बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेशित है, तो वह अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ मॉप-अप राउन्ड में प्रतिभाग कर सकेगा।

- बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा विस्तारित मॉप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु संबंधित कालेजों से त्याग-पत्र देते हुए मूल प्रमाण-पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- विस्तारित मॉप-अप राउण्ड की प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आवंटन/प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- विस्तारित मॉप-अप राउण्ड की कार्यवाही सीटें उपलब्ध होने तक ही की जायेगी।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://upneet.gov.in> & [www.dgme.up.gov.in](http://www.dgme.up.gov.in) पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक

संख्या-एम0ई0-3/पी0जी0-2022/ 3052

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5. रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
6. आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर/नाजिर/विधि अनुभाग चिकित्सा शिक्षा।
7. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली
8. सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना विभाग की वेबसाइट [www.dgmeup.gov.in](http://www.dgmeup.gov.in) पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
9. डा0 प्रभा वर्मा, सम्बद्ध अधिकारी/नोडल अधिकारी, सोशल मीडिया
10. शिविर सहायक, महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
11. मेसर्स श्रेष्ठा एडवरटाइजिंग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के गोरखपुर तथा झॉंसी, दैनिक हिन्दुस्तान के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज तथा वाराणसी एवं अमर उजाला के लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ तथा बरेली के संस्करणों में दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 को सूक्ष्म अक्षरों, न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा।